

## शत्रु संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग

### संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को कुछ शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दे दी है। शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है जिसे 1947 में हुए भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय लोग छोड़कर पाकिस्तान और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद छोड़कर चीन चले गए थे।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकारों को शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
- शत्रु संपत्तियों में पाकिस्तान की नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों की 9,280 संपत्तियां और चीन जाने वाले लोगों की 126 संपत्तियां शामिल हैं। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संपत्तियों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4,991 संपत्तियां हैं। इसके बाद 2,735 शत्रु संपत्ति पश्चिम बंगाल और 487 संपत्ति दिल्ली में है। जबकि, चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई शत्रु संपत्ति सबसे ज्यादा मेघालय में 57, पश्चिम बंगाल में 29 और असम में सात है।
- 2018 में राज्यसभा को गृह मंत्री ने बताया था कि देश में कुछ एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्तियां हैं। तीन हजार करोड़ रुपये के शत्रु शेयरों के मूल्य निर्धारण हेतु केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था।
- शत्रु संपत्ति कानून 1968 में बनाया गया था, जिसके जरिए शत्रु संपत्तियों का नियमन होता है। 2017 में इस कानून में संशोधन कर पाकिस्तान और चीन गए व्यक्तियों के संपत्तियों पर अधिकार खत्म कर दिए गए थे।

### शत्रु संपत्ति से आशय

- 1947 में देश के बंटवारे के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान या उसके बाद शत्रु राष्ट्र में निर्वासित नागरिकों और कंपनियों की संपत्ति शत्रु संपत्ति में शामिल है। ऐसी संपत्तियों की देखरेख के लिए सरकार एक कस्टोडियन की नियुक्ति करती है। भारत सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन में रखने की सुविधा प्रदान की गई। केंद्र सरकार ने इसके लिए कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभाग का गठन किया है, जिसे शत्रु संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार है।
- दो देशों में युद्ध होने पर 'दुश्मन देश' के नागरिकों की संपत्ति सरकार कब्जे में कर लेती है ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान उसका फायदा न उठा सके।
- पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों की जायदाद को इसी आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया था।
- इसके तहत जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को अपने अधिकार में लिया जा सकता है।

### सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- भारत ने अब तक 9,500 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के नागरिकों की हैं। इनकी कीमत 1,04,339 करोड़ रुपये से अधिक है।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत शत्रु देश के नागरिकों को इन संपत्तियों के रख रखाव के लिए कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। पर ये अस्पष्ट हैं, काफी उलझने हैं और कई मामले अदालत में लंबित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 तक कुछ मामलों का निपटारा कर दिया। इसने अपने फैसले में कहा कि शत्रु संपत्ति का रख रखाव करने वाला कस्टोडियन, ट्रस्टी की तरह काम करता है। लेकिन शत्रु देश के पास उसका मालिकाना हक बरकरार रहता है।

- सरकार ने 2016 में एक अध्यादेश के जरिए कस्टोडियन के अधिकार में इजाफा कर दिया। परंतु बाद में वह अध्यादेश समय के साथ समाप्त हो गया। साल 2016 में नये विधेयक का प्रावधान किया गया।

### 2016 के विधेयक के मुख्य प्रावधान

- इस विधेयक के द्वारा शत्रु संपत्ति के विक्रय को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा भारतीय नागरिक विरासत में शत्रु संपत्ति दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकते।
- दीवानी अदालतों को कई मामलों में शत्रु संपत्ति से जुड़े मुकदमों पर सुनवाई का अधिकार नहीं होगा।
- यदि किसी भारतीय नागरिक ने कोई शत्रु संपत्ति खरीदी है या उसे विकसित की है तो कानूनी तौर पर वापिस लिया जा सकता है।

### शत्रु संपत्ति संशोधन कानून, 2017

- संसद द्वारा शत्रु संपत्ति कानून (संशोधन विधेयक) 2017 को मंजूरी दी गई थी, जिसमें युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं।
- विधेयक के मुताबिक, अब किसी भी शत्रु संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार या कस्टोडियन द्वारा की गई किसी कार्यवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शत्रु संपत्ति के मालिक का कोई उत्तराधिकारी भी यदि भारत लौटता है तो उसका इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। एक बार कस्टोडियन के अधिकार में जाने के बाद शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होगा।
- शत्रु के वारिस के भारतीय होने या शत्रु अपनी नागरिकता बदलकर किसी और देश का नागरिक बन जाए, ऐसी स्थितियों में भी शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के पास ही रहेगी।
- नए कानून के मुताबिक, शत्रु संपत्ति अब उस हालात में संपत्ति के मालिक को वापस दी जाएगी, जब वो सरकार के पास आवेदन भेजेगा और संपत्ति, शत्रु संपत्ति नहीं पाई जाएगी।
- नए कानून के मुताबिक, कस्टोडियन को शत्रु संपत्ति को बेचने का अधिकार भी होगा, जबकि पिछले कानून के मुताबिक, अगर संपत्ति के संरक्षण या रखरखाव के लिए जरूरी हो तभी संपत्ति को बेचा जा सकता था।
- पिछले कानून के मुताबिक, शत्रु राष्ट्र के नागरिकता के बाद अगर उसका वारिस भारत का नागरिक है तो अपनी संपत्ति से होने वाले आय का इस्तेमाल कर सकता था, जबकि नए कानून में यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
- शत्रु संपत्ति संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम 2017 के तहत किसी संपत्ति के संबंध में या इस बाबत केंद्र सरकार या अभिरक्षक द्वारा की गई किसी कार्यवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।
- केंद्र सरकार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की सूचना अथवा प्राप्ति की तारीख के साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश से उत्पन्न किसी प्रश्नगत तथ्य अथवा विधि के संबंध में उच्च न्यायालयों में अपील कर सकता है। इस प्रकार का कानून पाकिस्तान और चीन सहित दुनिया के कई अन्य देशों में पहले से लागू है इससे मानवाधिकारों या न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं होता है।

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शत्रु संपत्ति कानून 1968 के द्वारा शत्रु संपत्तियों का नियमन किया जाता है।
2. 2016 के विधेयक द्वारा इस व्यवस्था में संरक्षण को शत्रु संपत्ति का मालिक बनाया गया तथा इसे 1968 से ही प्रभावी समझा गया।

3. शत्रु संपत्ति संबंधित मामलों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही उठाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

#### मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- सरकार के हालिया दिए गए निर्देश जिसमें शत्रु संपत्ति के सार्वजनिक उपयोग की बात कहीं गई है इसका किस प्रकार देश के हित में उपयोग किया जा सकता है? क्या यह निर्देश अपने पूर्ववर्ती अधिनियम के नियमों का अतिक्रमण करते हैं? चर्चा करें।